सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 11/2015

1. तुलसाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री आदराम जाति जाट निवासी 7 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. बृजलाल (मृतक) पुत्र श्री आदराम जाति जरिये वारिसान :–
   2/1 राजकुमार पुत्र स्व. बृजलाल जाट निवासी सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर
   2/2 सत्यपाल पुत्र स्व. बृजलाल जाट निवासी सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर
   2/3 श्यामलाल पुत्र स्व. बृजलाल जाट निवासी सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
4. भीम पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
5. जगदीश उर्फ जग्गा पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
6. अमर सिंह पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
7. सुभाष पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
8. कुम्भाराम पुत्र श्री जेमलराम जाति जाट निवासी 19 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
9. भगतराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 1 ढाणी तहसील रोड पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
10. लालचन्द पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी 7 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. बद्रीराम (मृतक) पुत्र श्री रूपाराम के विधिक उत्तराधिकारी (प्रफोर्मा पक्षकार)
    11/1 मूर्ति पत्नी ओमप्रकाश पुत्री स्व. श्री बद्रीराम जाति मेघवाल निवासी रणजीतपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
    11/2 कृष्णलाल पुत्र स्व. श्री बद्रीराम जाति मेघवाल निवासी 7 एफ. बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
    11/3 पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री बद्रीराम जाति मेघवाल निवासी रणजीतपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
    11/4 संतरो पत्नी फौजीराम पुत्री स्व. श्री बद्रीराम जाति मेघवाल निवासी नजदीक पंजपीर मलोट रोड अबोहर (पंजाब)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

12. श्रीमती छोटी देवी (मृतक) पत्नी श्री रूपाराम जाति मेघवाल के विधिक उत्तराधिकारी (प्रफोर्मा पक्षकार)
12/1 गुन्नीदेवी पुत्री छोटी देवी पत्नी श्री दौलतराम जाति मेघवाल निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
12/2 भागोदेवी पुत्री छोटी देवी पत्नी श्री चूडराम जाति मेघवाल निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12/3 चन्दीदेवी पुत्री छोटी देवी पत्नी श्री रत्तीराम जाति मेघवाल निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस
3.श्री जगमोहन आहूजा राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :–02.07.2018

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता श्री रूपाराम के नाम से चक 7 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 7,41,42 में संयुक्त खाता में 8.855 हैक्टर भूमि में से 2.838 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज थी जो कि प्रार्थी के पिता रूपाराम द्वारा साधानों के अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्टान के पूर्वजो एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 से काश्त करवायी जाती थी। रूपाराम की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उसके उत्तराधिकारीयों पर नियत हुई तथा अपीलांट रूपाराम का उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की व्याख्या सही रूप में न करके अपने आदेश में यह अंकित किया कि किसी प्रकार से भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्व लागू नहीं होते है तथा इसके साथ ही यह भी अंकित किया कि हस्तांतरण हुए 53 वर्ष 6 माह हो चुके है इस कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि विक्रय,दान तथा वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा जनजाति के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो, ऐसा विक्रय,दान अथवा वसीयत प्रारम्भ से ही शून्य है तथा किसी प्रकार से भी कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट को प्राप्त नहीं थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42 की व्याख्या को सही रूप से न मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जो विक्रय लोकहित के विपरीत हो वह प्रारम्भ से ही ABINITIO VOID है। इस आधार पर भी उक्त विक्रय विलेख को अधीनस्थ न्यायालय ने मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकतर ध्यान हस्तांतरण को पुराना मानकर तथा मियाद बाहर का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जबकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जो विक्रय लोकहित के विपरीत होगा उस पर किसी प्रकार से भी कोई मियाद मान्य नहीं होगी तथा किसी भी समय उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था उसमें प्रार्थी/ अपीलांट सख्या 02 कृष्णराम पुत्र रूपाराम अंकित हुआ जबकि वह रूपाराम का पुत्र न होकर बद्रीराम का पुत्र है जिसे 11/2 पक्षकार बनाया हुआ है इस कारण उसे बतौर अपीलांट पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि प्रार्थी के पिता श्री रूपाराम के नाम से चक 7 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 7,41,42 में संयुक्त खाता में 8.855 हैक्टर भूमि में से 2.838 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज थी जो कि प्रार्थी के पिता रूपाराम द्वारा साधानों के अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्टान के पूर्वजो एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 से काश्त करवायी जाती थी। रूपाराम की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उसके उत्तराधिकारीयों पर नियत हुई तथा अपीलांट रूपाराम का उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की व्याख्या सही रूप में न करके अपने आदेश में यह अंकित किया कि किसी प्रकार से भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्व लागू नहीं होते है तथा इसके साथ ही यह भी अंकित किया कि हस्तांतरण हुए 53 वर्ष 6 माह हो चुके है इस कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि विक्रय,दान तथा वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा जनजाति के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो, ऐसा विक्रय,दान अथवा वसीयत प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा किसी प्रकार से भी कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट को प्राप्त नहीं थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 42 की व्याख्का को सही रूप से न मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र करने में भारी भूल की है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जो विक्रय लोकहित के विपरीत हो वह प्रारम्भ से ही ABINITIO VOID माना है इस आधार पर भी उक्त विक्रय विलेख को अधीनस्थ न्यायालय ने मानने में भुल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकतर ध्यान हस्तांतरण को पुराना मानकर तथा मियाद बाहर का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जबकि इस सम्बन्ध में माननीय स्र्वोच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जो विक्रय लोकहित के विपरीत होगा उस पर किसी प्रकार से भी कोई मियाद मान्य नहीं होगी तथा किसी भी समय उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भुल की है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था उसमें प्रार्थी/ अपीलांट सख्या 02 कृष्णराम पुत्र रूपाराम अंकित हुआ जबकि वह रूपाराम का पुत्र न होकर बद्रीराम का पुत्र है जिसे 11/2 पक्षकार बनाया हुआ है इस कारण उसे बतौर अपीलांट पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.टी. 2012(2) पेज–1277
   " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec.183-B-Application filed to evict the petitioners-Tehsildar allowed the application & ordered to evict the petitioners-Land of member of Scheduled Caste- **Transfer of land is null & Void & the petitioners are the tresspassers-No khatedari rights can be conferred on land of person of scheduled Caste-**
2. आर.आर.टी. 2012(2) पेज–1279
   " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec.42-[b]- Transfer of land to juristic person by member of SC/ST Caste- **Expression 'Person' used in Sec.42 [b] means a natural person & not the juristic person is not correct**-Mutation rightly - Held, Sale deed & transfer of land is illegal & hit by Sec. 42[b] of the Act & the judgment passed by the High Court is set aside. "
3. आर.आर.टी. 2012(2) पेज–788
   " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec.183-B-Suit for eviction-**Land of member of Scheduled Caste- Reply to application to Sec. 183-B not filed-Tehsildar is competent to dispossess the member of higher caste from the land of person of scheduled caste-**

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 तथा 3 ता 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आराजी रूपाराम द्वारा दिनांक 07.06.1960 को अप्रार्थीगण को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी गई थी। रूपाराम के द्वारा बैयनामा चक 7 एफ.बडा के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 3,6,13,18 व किला नम्बर 4 ता 7 व किला नम्बर 14,15,17,24 पर क्रमशः आदराम पुत्र रामरिख, जयमलराम पुत्र रामरिख, मोतीराम पुत्र रामरिख को किया गया था जिसके अनुसार वे काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 183 (ख) बेदखली हेतु कार्यवाही–अपीलार्थीगण ने 53 वर्ष 6 माह बाद बेदखली हेतु आवेदन पेश किया–मियाद 12 वर्ष है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

1. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निम्नलिखित नजीर पेश की है :–
   आर.आर.टी. 2003 (1) पेज– 207
   ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 183 (ख)–बेदखली हेतु कार्यवाही –प्रार्थी के पिता ने 5.02.1963 को जरिये रजि. विक्रय पत्र भूमि अप्रार्थीगण को बेची तथा कब्जा सुपुर्द किया–धारा 42 में संशोधन 1964 में प्रभाव में आया तथा यह भूतलक्षी नहीं था–कब्जा अन्तरण की तिथि से वाद कारण उत्पन्न होता है''

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि हस्तगत प्रकरण में यह हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है क्योंकि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा उनसे भिन्न जाति के किसी सदस्य को दिनांक 22.09.1956 से कोई भूमि बिक्री/हस्तांतरण करने में स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में यह हस्तान्तरण भी प्रतिबन्धित श्रेणी में है। अतः रकबा बहक सरकार लिया जाना चाहिए। उन्होने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 तथा 3 ता 10 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत सुसंगत नहीं बताते हुए स्पष्ट किया कि आर.टी.एक्ट की धारा 42(ख) वास्तव में दिनांक 22.09.1956 से प्रभाव में आई है न कि वर्ष 1964 में।

राजकीय अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय सम्बन्धि निम्न नजीर पेश की है :–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

1. आर.बी.जे.(2) 2014– पेज–740
"RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- SECTION-42 THERE WAS CLEAR PROHIBI.TION IN MAKING ANY 'SALE BY A MEMBER OF SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE TO NON-SCHEDULED CASTE OR NON-SCHEDULED TRIBES SINCE **22-09-1956.** TRANSFER MADE ON 12-01-1962 WAS AGAINST THE SAID PROHIBITION."

हस्तगत प्रकरण का प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों/दृष्टांतों के आलोक में परीक्षण किया गया। मामले में रूपाराम जाति **मेघवाल (एस.सी.)** द्वारा विवादित आराजीयात आदराम, जयमलराम,मोतीराम जाति **जाट (नोन–एस.सी.)** को दिनांक 07.06.1960 को जरिये बैयनामा विक्रय की जो तत्समय प्रवृत आर.टी. एक्ट की धारा 42(ख) के प्रावधानों से प्रतिबंधित थी। लिहाजा तहसी एउलदार गंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में धारा 175 आर.टी.एक्ट में प्रकरण संस्थित करवाया जिसे दिनांक 31.05.1976 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर में अन्तर्गत धारा 183 (ख) पेश किया जिसे मियाद बाहर माना जाकर खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी तुलछाराम द्वारा पेश की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत नजीर निर्णय अपील नम्बर 5853/2014 (Arising out of) SLP[C] No. 16638 of 2012 अनवान रामकरण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के आलोक में उक्त विक्रय/हस्तांतरण दिनांक 22.09.1956 के पश्चात् किया गया है। लिहाजा यह विक्रय आर.टी.एक्ट की धारा 42 (ख) से प्रतिबंधित था और इसलिए उसे किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि कानूनी प्रावधानों के विपरीत विक्रय होने से रिज्यूम होने के दायित्वाधीन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपील के अन्तर्गत आने वाली भूमि चक 7 एफ.बडा के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 3,6,13,18 व किला नम्बर 4 ता 7 व किला नम्बर 14,15,17,24 की कुल 12.00 बीघा भूमि को कानूनी प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण करने के कारण मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त ठहरता है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रेषित हो। तहसीलदार श्रीगंगानगर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 02.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)